पत्रांक- 995 / 25-36 / 189 दि- 23-03-2026

कार्यालय जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी

1. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखीमपुर खीरी।
2. उप मुख्य चिकित्साधिकारी लखीमपुर खीरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वि0/यां0।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम लखीमपुर खीरी।
5. अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखीमपुर खीरी।
6. जिला पंचायतराज अधिकारी लखीमपुर खीरी।
7. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग लखीमपुर खीरी।
8. केमिस्ट जनपदीय प्रयोगशाला उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखीमपुर खीरी।
9. सहायक अभियंता, भू–गर्भ जल विभाग, लखीमपुर खीरी।
10. सहायक विकास अधिकारी, पंचायती राज (तकनीकी) द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर खीरी।
11. संचालन एवं अनुरक्षण हेतु नामित एजेन्सी द्वारा अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखीमपुर खीरी।
12. जल जीवन मिशन हेतु नामित टी0पी0आई0 एजेन्सी द्वारा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखीमपुर खीरी।

विषयः– **प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण तथा दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु जिला तकनीकी इकाई (DTU) का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 7/2026/493/छिहत्तर-1-2026 (2027542) दिनांक 28.02.2026 जो समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति उत्तर प्रदेश को संबोधित है (संलग्नक–1) एवं अधिशाषी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0 4127/JJM(DTU)/2025-26/Tech-05 दिनांक 09/03/2026 (संलग्नक–2) द्वारा प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कुशल संचालन एवं अनुरक्षण तथा उनके दीर्घकालिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) के गठन के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसके अनुपालन में जिला तकनीकी इकाई (DTU) का गठन किया जाता है जो निम्नानुसार है।–

क्र0सं0	पदनाम	पद
1-	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखीमपुर खीरी।	अध्यक्ष/संयोजक
2-	उप मुख्य चिकित्साधिकारी लखीमपुर खीरी।	सदस्य
3-	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वि0/यां0।	सदस्य
4-	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम लखीमपुर खीरी।	सदस्य
5-	अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखीमपुर खीरी।	
6-	जिला पंचायतराज अधिकारी लखीमपुर खीरी।	सदस्य

1205-36/ 189 दि- 27-03-26

7-	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग लखीमपुर खीरी।	सदस्य
8-	सहायक विकास अधिकारी, पंचायतीराज (तकनीकी)	सदस्य
9-	केमिस्ट जनपदीय प्रयोगशाला उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखीमपुर खीरी।	सदस्य
10-	सहायक अभियंता भू–गर्भ जल विभाग लखीमपुर खीरी।	सदस्य
11-	जल जीवन मिशन हेतु नामित टी0पी0आई0 एजेन्सी।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12-	संचालन एवं अनुरक्षण हेतु नामित एजेन्सी	विशेष आमंत्रित सदस्य

उक्त के अतिरिक्त जिला तकनीकी इकाई (DTU) के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं।–

(1) सभी प्रकार की ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन, राज्य योजनाएं, National Rural Drinking Water Programme (एन०आर०डी०डब्ल्यू०पी०) तथा अन्य ग्रामीण योजनाओं को सुजलाम भारत डेटाबेस के अन्दर लाया जाना।

(2) जिला तकनीकी इकाई द्वारा रिऐक्टिव मैन्टेनैन्स को कम करने, नियोजित पूर्वानुमान आधारित एवं मितव्ययी संचालन एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से–

I. सुजलाम भारत ऐसेट रजिस्ट्री के आधार पर योजनाओं के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स हेतु डिजिटल प्रीवेन्टिव मैन्टेनेन्स शिड्यूल तैयार कराना।

II. विभिन्न कम्पोनैन्ट्स के जीवनकाल एवं सिस्टम के परफॉरमैन्स के आधार पर मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक ऐसेट रीप्लेसमेन्ट रणनीति तैयार करना।

III. विभिन्न कम्पोनेन्ट्स के फेल्योर प्लान्ट रीप्लेसमेन्ट तथा उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इन्टैलिजैन्स (ए0आई0) आधारित पूर्वानुमान के आधार पर ऑप्टिमम् भण्डार का प्रबन्धन कराना।

IV. डिजिटल टिकटिंग सिस्टम पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) से प्राप्त तकनीकी एवं ऑपरेशनल समस्याओं का पारदर्शी व समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कराना।

V. ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण, स्थान विशेष/क्षमता के दृष्टिगत सीधे ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा अथवा तकनीकी एजेन्सी/फर्म को ऐन्गेज करते हुए किया जा सकता है।

VI. योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण अनुबन्ध तैयार करना, स्कोप ऑफ वर्क परिभाषित करना, सर्विस लैवल, स्टॉफ की आवश्यकता, स्पेयर्स एवं भण्डार की आवश्यकता व सुरक्षात्मक उपायों के सम्बन्ध में जिला एवं ग्राम पंचायतों को सुझाव देना।

VII. पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में आने वाली समस्याओं के निवारण, प्रीवैन्टिव मैन्टेनैन्स एवं आपातकाल में रिस्पॉन्स के सम्बन्ध में स्थान विशेष की परिस्थितियों के अनुसार स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कराना।

VIII. जल जीवन मिशन की योजनाओं का क्रियान्वयन, प्लानिंग, कमिशनिंग तथा हैण्डओवर (जलार्पण दिवस के माध्यम से) सुनिश्चित कराना।

IX. योजनाओं के दीर्घकालिक स्थायित्व एवं नियमित व पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति के दृष्टिगत भविष्य की प्लानिंग एवं वैकल्पिक टैक्नोलॉजी के सम्बन्ध में सुझाव देना।

(3) जिला तकनीकी इकाई (DTU) ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, संचालन एवं अनुरक्षण को बेहतर बनाने के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा नियमित व अन्तराल पर बैठक कर योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से तथा जल सेवा आकलन फॉर्म से प्राप्त फीडबैक का अध्ययन करते हुए, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अन्य कार्य भी किए जाएंगे।

(5) जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा योजनाओं हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अन्य कार्य भी किए जाएंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार जिला तकनीकी इकाई (DTU) हेतु निर्धारित दायित्वों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

(दुर्गा शक्ति नागपाल)
जिलाधिकारी
लखीमपुर खीरी।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव उ०प्र० शासन।
2- आयुक्त महोदय, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
3- निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
4- अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
2- मुख्य चिकित्साधिकारी लखीमपुर खीरी।

(दुर्गा शक्ति नागपाल)
जिलाधिकारी
लखीमपुर खीरी।